

\*प्रेस नोट\*


आज दिनांक 07.03.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा थाना बड़ागांव का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बड़ागांव भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, परिसर, पुलिस बैरक, स्नानागार, भोजनालय, हवालात की साफ-सफाई आदि को चेक किया गया। तत्पश्चात थाना-कार्यालय में रजिस्ट्रों के रख-रखाव को देखा गया तथा रजिस्ट्रों का अवलोकन भी किया गया व महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायत के रजिस्ट्रों में शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त फीडबैक भी अंकित करने, महिला सम्बन्धी अपराधों के त्वरित व गम्भीरता पूर्वक निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा थाना परिसर में हो रहे भवन निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया व कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। बाद समाप्त निरीक्षण अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।







\*प्रेस नोट\*

\*आज दिनांक 07.03.2021 को थाना कपसेठी पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अन्दर लूट की घटना कारित करने वाले दो लुटेरे राधेश्याम पाठक व राज कुमार गिरफ्तार, कब्जे से लूट के रू0 7500/- नगद, सोने की अँगूठी व लाकेट बरामद\*

दिनांक 06.03.2021 को थाना कपसेठी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम निमनी में मोटरसाईकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवास दिलाने का लालच देकर घर में आकर रू0 7500/- नगद, सोने की अँगूठी व लाकेट छीनकर भाग जाने के क्रम में थाना कपसेठी पर मु0अ0सं0 0033/2021 धारा 417/420/394 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसके अनावरण हेतु थाना कपसेठी पर एक पुलिस टीम गठित की गई। आज दिनांक 07.03.2021 को थाना कपसेठी की उक्त पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) राधेश्याम पाठक पुत्र उमाशंकर पाठक निवासी ग्राम हुरूवा थाना पड़री जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 38 वर्ष व राज कुमार पुत्र परमेश्वर प्रसाद निवासी स्टेशन रोड थाना कोतवाली जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 40 वर्ष को कुरू चौराहे के पास से समय करीब 00.45 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट के रू0 7500/- नगद, सोने की अँगूठी व लाकेट बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कपसेठी पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. राधेश्याम पाठक पुत्र उमाशंकर पाठक निवासी ग्राम हुरूवा थाना पड़री जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 38 वर्ष
2. राज कुमार पुत्र परमेश्वर प्रसाद निवासी स्टेशन रोड थाना कोतवाली जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 40 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण-\*

1. लूट का रू0 7500/- नगद
2. एक अदद मोटरसाइकिल (रंग काला) बिना नम्बर के (चेसिस नं0 MD2DSPAZZSPF40337)
3. लूट का एक सोने का लाकेट
4. लूट की एक सोने की अँगूठी

\*आपराधिक इतिहास-\*

\*अभियुक्त राधेश्याम पाठक का आपराधिक इतिहास-\*

1. मु0अ0सं0 0033/2021 धारा 417/420/392/411 भादवि थाना कपसेठी, वाराणसी।

**\*अभियुक्त राज कुमार का आपराधिक इतिहास-\***

1. मु0अ0सं0 0033/2021 धारा 417/420/392/411 भादवि थाना कपसेठी, वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 869/15 धारा 60 EX. ACT थाना हलिया जनपद मिर्जापुर ।

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

- प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर, उमनीष कुमार मिश्रा 0नि0, कासिद्धेश्वर नाथ चौबे 0 व काराजेन्द्र 0 यादव थाना कपसेठी जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 07.03.2021 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0031/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) विकास उर्फ बच्चू पुत्र स्व0 छेदी लाल निवासी- ए 34/100 ए गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी व (2) राजा बाबू पुत्र बाबू लाल सोनकर निवासी ए 34/100ए गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी तथा मु0अ0सं0- 0032/2021 धारा 147/323/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) सूरज पुत्र ओम प्रकाश उर्फ दास निवासी- ए 34/100-सी-3 गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी व (2) पप्पू उर्फ आलू पुत्र स्व0 प्रेम उर्फ झन्ना निवासी- ए 34/100-सी-3 गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी को गोलगड्डा स्थित उनके घरों के पास से समय करीब 13.35 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

**\*मु0अ0सं0-0031/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण-\***

1. विकास उर्फ बच्चू पुत्र स्व0 छेदी लाल निवासी- ए 34/100 ए गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी
2. राजा बाबू पुत्र बाबू लाल सोनकर निवासी ए 34/100ए गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी

**\*मु0अ0सं0-0032/2021 धारा 147/323/504 भादवि व 7सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण-\***

1. सूरज पुत्र ओम प्रकाश उर्फ दास निवासी- ए 34/100-सी-3 गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी
2. पप्पू उर्फ आलू पुत्र स्व0 प्रेम उर्फ झन्ना निवासी- ए 34/100सी3 गोलगड्डा थाना आदमपुर वाराणसी

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

1. उ0नि0 राकेश कुमार मिश्र चौकी प्रभारी हनुमान फाटक थाना आदमपुर वाराणसी
2. हे0का0 धनजी सिंह थाना आदमपुर वाराणसी
3. हे0का0 राजीव सिंह थाना आदमपुर वाराणसी
4. हे0का0 मनोज मौर्या थाना आदमपुर वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 07.03.2021 को थाना मण्डुवाडीह क्षेत्रान्तर्गत सूर्य सरोवर पार्क में एक व्यक्ति लड़कियों को देखकर उनकी ओर इशारा करते हुए अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा था, मौके पर थाना मण्डुवाडीह पुलिस ने पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर अपना नाम अजीत कुमार मौर्य पुत्र बाबूलाल मौर्य निवासी न्यू कालोनी ककरमत्ता थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष बताया। उक्त अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 14.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0087/2021 धारा 294 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- अजीत कुमार मौर्य पुत्र बाबूलाल मौर्य निवासी न्यू कालोनी ककरमत्ता थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, हे0का0 रामविलास यादव, हे0का0 मदन कुमार सिंह, म0कां0 जूही सिंह व म0का0 पम्पी गौड़ थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 156 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4034 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 353 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 146 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2490 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी व 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 294 भादवि में कार्यवाही एवं 96 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।